प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02080/2020-2021

दिनांक 26/03/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/RAM/19648 /2020-2021

पत्रावली संख्या:MBD-22351 दिनांक:2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **मोर्निंग वैल्स एजूकेशनल वैलफेयर सोसाइटी, ग्राम व पो0 मानपुर उत्तरी, तह0 स्वार, जिला रामपुर, उ0प्र0, रामपुर, 244924** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 140/2010-11 दिनांक-30/04/2010 को दिनांक-30/04/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1600 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(BHUPENDRA KUMAR SINGH)
7288D213450079C7CBDE46733EACCFBED1DB18E4
Date: 26/03/2021 3:56:10 PM, Location: Moradabad.

जारी करने का दिनांक-26/03/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नामः– : **"मोर्निंग वैल्स एजूकेशनल वैलफेयर सोसाइटी"**

2. संस्था का नाम : ग्राम व पो0 मानपुर उत्तरी, तह0 स्वार, जिला रामपुर।

3.संस्था का कार्यक्षेत्रः– समस्त उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उद्देश्यः– संस्था के निम्न उद्देश्य होंगेः–

5.संस्था सदस्यता एवं सदस्यों के वर्गः–

आजीवन सदस्यः–इस संस्था को एक बार में मु0 1100/–देने वाले व्यक्ति आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

विशिष्ट सदस्यः–संस्था को एक मुश्त 200/–देने वाले व्यक्ति विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे।

साधारण सदस्यः–संस्था को एक मुश्त 100/–वार्षिक शुल्क देने वाले व्यक्ति साधारण सदस्य कहलायेंगे।

6.सदस्यताकी समाप्तिः–किसी सदस्य के पागल हो जाने व दिवालिया हो जाने, संस्था के अहितकारक कार्य पर संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर, न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होने पर तथा किसी सदस्य के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने पर, मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर तथा उसके स्वीकार होने पर, संस्था की मीटिंगों में लगातार तीन बार अनुपस्थिति होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

7.संस्था के अंगः–

(क) साधारण सभा

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभाः–

गठनः–साधारण सभा में सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकेः–

सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार बुलाई जायेगी और विशेष बैठक समयानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधिः–

साधारण सभा की बैठक की सूचना अवधि 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैइक की सूचना अवधि 24 घण्टे पर्याप्त होगी।

गणपूर्तिः–

प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या 2/3 सदस्यों से गणपूर्ति समझी जायेगी। कोरम पूरा ना होने के कारण बैठक स्थगित हो जायेगी।

विशेष वार्षिक बैठक

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर विशेष वार्षिक आयोजन होगा जिसमें वार्षिक आय व्यय पर विचार किया जायेगा।

साधारण सभा के कर्त्तव्य तथा अधिकारः–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
2. आय–व्यय बजट को पास करना।
3. संस्था की तरक्की के लिए कार्यक्रमों को तैयार करना।
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के नियमों का निर्धारण करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समितिः–

गठनः–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यो के द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष के लिए किया जायेगा जिसमें सदस्यों की संख्या कम से 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

सहायक रजिस्ट्रार

बैठक— प्रबन्धकारिणी समिति का वर्ष से कम से कम चार बैठके होना अनिवार्य है। आवश्यकतानुसार विशेष बैठक के लिए एजेन्डा सहित सूचना तीन दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य है, विशेष बैठक के लिए यह अवधिक 24 घण्टे पर्याप्त होगी।

गणपूर्तिः—प्रबन्धकारिणी के कुल सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का 2/3 कोरम पूरा समझा जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्तिः—प्रबन्धकारिणी समिति में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यः—

1. सामान्य सभा द्वारा बैठकों में दिये गये व दर्शाये गये का पालन करना।
2. संस्था के कार्य के लिए पूंजी एकत्रित करना।
3. संस्था की तरक्की के लिए उच्चकोटि के कार्यक्रमों का निर्माण करना।

9.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार कर्त्तव्यः—

अध्यक्षः—सभी बैठकों की अध्यक्षता करना किसी सदस्य के आरोपित होने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करना आवश्यकतानुसार सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलाना तथा संस्था के समस्त महत्वूपर्ण कार्यो में सहयोग प्रदान करना।**तथासंस्था के हित में सभी कार्य करना, विद्यालय को मान्यता दिलाने सम्बन्धी कार्यवाही करना, विद्यालय के लिए भूमि भवन क्रय करना, किराये पर लेना, दान—अनुदान प्राप्त करना तथा इस हेतु प्रबन्धकारिणी की सहमति से अनुबन्ध आदि निष्पादित करना, संस्था और विद्यालय की ओर से सरकारी तथा गैर—सरकारी विभागो में संस्था/विद्यालयो का प्रतिनिधित्व करना और संस्था/विद्यालयों की ओर से अदालती कार्यवाही का संचालन करना।**

उपाध्यक्षः—अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यो का निर्वहन करना।

प्रबन्धक—संस्था के समस्त कार्य को क्रियान्वित करना कागजातों को व्यवस्थित ढंग से रखनाा, संस्था के हित में समस्त न्यायिक कार्य का संचालन करना संस्था के लिए पत्र व्यवहार करना, ऋण अनुदान प्राप्त करना सभा की कार्यवाही लिखना तथा संस्था की बैठकों का संचालन करना।

कोषाध्यक्षः—आय—व्यय का हिसाब—किताब रखना व बिल वाउचर की तैयारी करना व संस्था के धन को एकत्रित करना।

10. बैंक खाता संचालन करने का अधिकारः—संस्था केधन को किसीराष्ट्रीय बैंक में रखा जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।**तथा संस्था का खाता ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, डाकघर में भी संचालित किया जायेगा।**

11. संस्था के नियमों /विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः—

संस्था की नियमावली में किसी प्रकार का परिवर्तन व उद्देश्यों में संधोधन हेतु साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें 2/3 बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव से संशोधन परिवर्तन अथवा उपनियम बनाना।

12.संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षणः—

संस्था की आय—व्यय सम्बन्धित जांच ऑडिटर द्वारा करायी जायेगी तथा बाद जांच उसकी आख्या प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत होगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व समस्त अदालती कार्यवाही स्थानीय न्यायालय में ही की जायेगी तथा कार्यवाही संचालन का उत्तरदायित्व संस्था की ओर से प्रबन्धक पर होगा।

14. संस्था के अभिलेखः—

(क) सदस्य रजिस्टर (ख) कार्यवाही रजिस्टर, (ग) स्टॉक रजिस्टर कैश बुक आदि

15.संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही

यदि किसी समय संस्था समाप्त हो जाये तो संस्था की चल/अचल सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

दिनांकः— 25-04-19 सत्यप्रतिलिपि

Sangeeta
Aman Dhillon
पायल
Jagjeet

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

क्र०	विविध नियम
1	विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2	विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / शिक्षा निदेशक की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3	विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4	संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त हे तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काउन्सिल फॉर दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5	संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनक्रम तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान / अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6	कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
8	विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र / पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
9	प्रतिबन्ध 1 से 8 तक बिना शासन के पूर्वानुमोदन के परिवर्तन / परिबर्द्धन / संशोधन नहीं किया जायेगा।

Sengupta
Aman Dhillon ह० 25/4/19
पायल
Jagjeet

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
03/5/19

3

डि० कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ ★ मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद उ०प्र० ★

सत्यमेव जयते

MBD 22351

फ़ाइल संख्या ...... [illegible]

संस्था का नाम [illegible]

[illegible]

आलेख क्रम [illegible]

दि० 02.5 2019 को फाइल की गई

सहायक निबन्धक समिति

उ० प्र० मुरादाबाद

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद

पत्रांक 4284 / एम0बी0डी0– 22351 मुरादाबाद:: दिनांक 23/3/2019

सेवा में,

प्रबन्धक
मोर्निंग वेल्स एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी
ग्राम व पो0 मानपुर उत्तरी तह0 स्वार, जिला रामपुर।

विषयः– संस्था मोर्निंग वेल्स एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, जिला रामपुर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर संस्था की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2018–19 पंजीकृत की जा रही है यदि आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रो में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने की बात भविष्य में प्रकाश में आती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा पंजीकृत अभिलेख पंजीकरण की तिथि से अमान्य एंव विधिशून्य होंगे।

भवदीय

(अरूण कुमार यादव)
सहायक रजिस्ट्रार

संस्था का नाम– "मोर्निंग वैल्स एजूकेशनल वैलफेयर सोसाइटी" ग्राम व पो0 मानपुर उत्तरी, तह0 स्वार, जिला रामपुर की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष –2018–19

क्रम सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	अमन ढिल्लन पुत्र श्री नरेन्द्रजीत सिंह ढिल्लन	ग्राम व पो० मानपुर उत्तरी, तह० स्वार, जिला रामपुर।	अध्यक्ष	कृषि
2–	पायल पुत्री श्री जागीर चन्द्र	वार्ड नं०-5, आवास विकास गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर।	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्रीमती संगीता ढिल्लन पत्नी श्री नरेन्द्रजीत ढिल्लन	ग्राम व पो० मानपुर उत्तरी, तह० स्वार, जिला रामपुर।	प्रबन्धक/सचिव	कृषि
4–	जगजीत कौर पुत्री श्री अजीत सिंह बाजवा	09, चन्द्रा फार्म बिलासपुर रामपुर।	कोषाध्यक्ष	शिक्षक
5–	विकास कम्बोज पुत्र श्री० हंसराज कम्बोज	मथुरापुर मोर, नजीबाबाद, जाफराबाद, चन्दमपुर, जिला बिजनौर।	सदस्य	इंजीनियर
6–	टॉन कुमार पुत्र श्री बृज लाल	म०नं० 112, मेन ईदगाह रोड, ईदगाह बस्ती, अबोहर, फजीलका, पंजाब।	सदस्य	शिक्षक
7–	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी जागीर चन्द्र सिंह	गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर।	सदस्य	कृषि
8	श्रीमती डौली रंधावा पत्नी निशान सिंह रंधावा	नवाबगंज पार्सल, तह० स्वार, जिला रामपुरर।	सदस्य	गृहणी
9	अमृता खन्ना पत्नी श्री राहुल खन्ना	437, मुखर्जीनगर, दिल्ली।	सदस्य	कृषि

Sangeeta
Aman Dhillon
पायल
Jagjeet

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ ... मंडल मुरादाबाद उ० प्र०

सत्यमेव जयते

क्रम संख्या ... 22351

संस्था का नाम [illegible]

आलेख क्रम [illegible] 18

दि० 18/1/19 को फाइल की गई

सहायक निबन्धक समिति
उ० प्र० मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AD 197810

जनरल स्टाम्प पेपर संस्था मोर्निंग वेलस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी रामपुर की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2018-19 ~~के स्मृति-पत्र/नियमावली~~ की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
26/4/19

स्टाम्प क्रेता का .... मै० रोहिलखण्ड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट आर्गनाइजेशन रामपुर

क्रम सं० ....10.... दिनांक 25/3/19

जनरल स्टाम्प मूल्य -10 रुपये

स्टाम्प वास्ते

कुल किते ......1...

निम्नलिखित मूल्य के स्टाम्प समाविष्ट है।

भूकन सरन स्टाम्प विक्रेता

कलेक्टेट, मुरादाबाद लाइ० नं० 60 CP

[signature] 25/3/19

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   91AD 188154

जनरल स्टाम्प पेपर संस्था मॉर्निंग बैल्स एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी रामपुर की संस्था।
~~के स्मृति पत्र~~/नियमावली की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
03/5/19

मार्निंग वैलफेयर सोसाइटी, रामहट

...स्टाम्प क्रेता का

क्रम सं० 4 .... दिनांक 02/05/019

...स्टाम्प मूल्य-10 ...

...

...स्टाम्प ...

...लिखित मूल्यों के स्टाम्प ... है।

...शुक्ला ... स्टाम्प विक्रेता

...

(signature)

02/05/019

सोसाइटी/ट्रस्ट के सदस्यों के परस्पर संबंधित होने / न होने

सम्बंधि शपथ पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट मॉर्निंग वेल्स एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी मानपुर उत्तरी में निम्नांकित सदस्य हैं जिनके विवरण एवं उनके परस्पर संबंधित होने अथवा ना होने का विवरण उनके नाम के समुख अंकित है

क्रम	सदस्यों का नाम	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	कालम -2 में अंकित व्यक्ति से संबंधित सदस्यों का नाम	परस्पर संबंधों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमन ढिल्लन	ग्रेजुएट	कृषि	श्रीमती संगीता ढिल्लन	माता
2	श्रीमती पायल	पोस्टग्रेजुएट	कृषि	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं
3	श्रीमती संगीता ढिल्लन	ग्रेजुएट	कृषि	अमन ढिल्लन	पुत्र
4	श्रीमती जगजीत कौर	ग्रेजुएट	शिक्षक	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं
5	श्री विकास कंबोज	ग्रेजुएट	इंजीनियर	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं
6	श्रीटोन कुमार	पोस्टग्रेजुएट	शिक्षक	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं
7	श्रीमती सुमित्रा देवी	इंटरमीडिएट	कृषि	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं
8	श्रीमती डॉली रंधावा	ग्रेजुएट	ग्रहणी	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं
9	श्रीमती अमृता खन्ना	ग्रेजुएट	कृषि	आपस में कोई संबंधित नहीं	नहीं

उपरोक्त समस्त सूचनाएं पूर्णता सत्य हैं मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं गलत / भ्रामक पाए जाने पर **"अनापत्ति प्रमाण"** पत्र निरस्त कर दिए जाने पर उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

Morning Bells Sc... Manpur Uttari Swar (Ramp...)

Aman Dhillon

ह0 प्रबधक/संस्थापक